संख्या-21/2023/001-ई-2451939 60 3 2023 सी-397534

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 सितंबर, 2023

विषयः-आशा ज्योति केन्द्र योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित आशा ज्योति केन्द्र योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 (राजस्व पक्ष) के ''लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-12-रानी लक्ष्मीबाई आशा-ज्योति केन्द्र का संचालन-42-अन्य व्यय'' अन्तर्गत कुल धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) का बजट प्रावधान है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आशा ज्योति केन्द्र योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में सुसंगत लेखाशीर्षक अन्तर्गत प्रावधानित कुल धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्रावधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नबगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्य्य आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(6) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुवल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, महिला कल्यालण द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रावधानित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021031200 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र का संचालन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21 /2023/001-ई 2451939 60 3 2023 सी 397534, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।